राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 450/2023

चंद्र प्रकाश मेघवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2023
आदेश की दिनांक : 30.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र जैन/नरेश गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में संशोधित अपील पेश की गई, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आलोच्य आदेश दिनांक 15.09.2021 के द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर जीएसएसएस हेमदा ब्लॉक सुनेल, जिला झालावाड़ में हुई।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के पिता Demetia नामक असाध्य मानसिक रोग से पीड़ित है, उनका ईलाज एमबीएस हॉस्पीटल कोटा में चल रहा है। उनकी देखभाल अपीलार्थी के द्वारा ही की जाती है। उनकी देखभाल करने वाला परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी अपने निवास स्थान से लगभग 150 कि.मी. दूर है। अपीलार्थी की पारिवारिक समस्या को देखते हुए अपीलार्थी को शहीद अजय आहुजा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीमगंजमण्डी, कोटा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेड़ारसूलपुर, कोटा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भाण्डाहेड़ा, कोटा स्थानान्तरण निम्न रिक्त पदों में से किसी एक पद पर स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 27.12.2022 (अनुलग्नक–1) को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक स्थान परिवर्तन चाहने के लिए परिवेदना प्रस्तुत किया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने इस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की।

4. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी के प्रस्तुत परिवेदना दिनांक 27.12.2022 (अनुलग्नक–1) पर आवश्यक रूप से निर्णय करते हुए एवं अपीलार्थी के पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए इच्छित स्थान पर अपीलार्थी को पदस्थापित करने के आदेश फरमाये जावें।
5. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
6. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
7. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।
8. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य